Must keep alive Hindi, other Indian languages: NHRC chief

https://www.eastmojo.com/national/2023/01/21/must-keep-alive-hindi-other-indian-languages-nhrc-chief/

Arun Kumar Mishra was addressing a function organised here to present awards to 33 winners of various competitions held during the Hindi fortnight in September 2022

New Delhi: NHRC chairperson justice (retd) Arun Kumar Mishra on Friday said it is necessary to keep alive Hindi and other Indian languages by promoting their use in day-to-day life for the “cultural unity and integrity of the country”.

He was addressing a function organised here to present awards to 33 winners of various competitions held during the Hindi fortnight in September 2022 for the officers and staff of the Commission.

Justice Mishra said languages play an important role in the preservation and promotion of the culture of a country.

Therefore, it is necessary to keep alive Hindi and other Indian languages by promoting their use in our day-to-day life for the cultural unity and integrity of the country, he was quoted as saying in the statement.

However, “there is nothing wrong” in learning different foreign languages, but overuse of these languages at the cost of Hindi and other Indian languages may impact our culture and value systems, he said.

Therefore, all the mother tongues and national languages need to be maintained and enriched, he said.

Justice Mishra also said that when foreign countries have been taking advantage of Indian literature in Sanskrit language, it is necessary that we also protect our culture through our languages and guide the world.

NHRC Member D M Mulay also addressed the officers and staff and encouraged them to promote official language in their work, the statement said.

Kolkata: ISF समर्थकों के टकराव के बाद पुलिस का चला डंडा, आंसू गैस के दागे गोले; कई घायल

https://bharat.republicworld.com/india-news/general-news/kolkata-after-the-clash-of-isf-supporters-the-police-used-batons-fired-tear-gas-shells-many-injured

कोलकाता में पुलिस लाठीचार्ज और टीएमसी के साथ झड़प के बाद आईएसएफ समर्थकों को तितर-बितर, अराजकता जारी।

Kolkata ISF V/S TMC: सूत्रों ने रिपब्लिक बांग्ला को बताया कि आईएसएफ ने अपने स्थापना दिवस पर धर्मतला में एक समारोह आयोजित किया था, जब आईएसएफ (ISF) और तृणमूल कांग्रेस(TMS) के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। कोलकाता पुलिस ने 21 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। इकलौते आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सूत्रों ने रिपब्लिक बांग्ला को बताया कि आईएसएफ ने अपने स्थापना दिवस पर धर्मतला में एक समारोह आयोजित किया था, जब आईएसएफ और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। विवाद कथित तौर पर झंडा फहराने की घटना को लेकर था।

NHRC ने डीजीपी को किया तलब

आईएसएफ (ISF) सदस्य और टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत के बाद एनएचआरसी (NHRC) ने डीजीपी को तलब किया। इस हफ्ते की शुरुआत में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने चुनाव संबंधी हिंसा के संबंध में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सशर्त समन जारी किया था।

समन इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के एक सदस्य द्वारा शिकायत किए जाने के बाद जारी किया गया था, जिसमें लिका था, 'विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया'। अपनी शिकायत में, ISF सदस्य ने आरोप लगाया, "विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद TMC कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीटा, जिससे उनके सिर में चोटें आईं।"

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

https://krantiodishanews.in/33826/

नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने आज कहा कि देश की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में भाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए देश की सांस्कृतिक एकता और अखण्डता के लिए अपने दैनिक जीवन में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देकर उन्हें जीवित रखना आवश्यक है।

न्यायमूर्ति मिश्रा आज सितंबर, 2022 में हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के 33 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे तथा उन्होंने इस अवसर पर आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

हालाँकि, एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न विदेशी भाषाओं को सीखने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की कीमत पर इन भाषाओं का अत्यधिक उपयोग हमारी संस्कृति और मूल्यों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, सभी मातृभाषाओं और राष्ट्रीय भाषाओं को बनाए रखने और समृद्ध करने की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी कहा कि जब विदेशों में संस्कृत भाषा में भारतीय साहित्य का लाभ उठाया जा रहा है, तो यह आवश्यक है कि हम भी अपनी भाषाओं के माध्यम से अपनी संस्कृति की रक्षा करें और दुनिया का मार्गदर्शन करें।

एनएचआरसी के सदस्य डॉ. डी. एम. मुले ने भी अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया और उन्हें अपने काम में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस समारोह में आयोग के सदस्य श्री राजीव जैन, महासचिव श्री डी. के. सिंह, रजिस्ट्रार (विधि) श्री सुरजीत डे और संयुक्त सचिव श्रीमती अनीता सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।

देश की अखंडता के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को जीवित रखना जरूरी

https://hindi.dynamitenews.com/story/it-is-important-to-keep-hindi-and-other-indian-languages-alive-for-the-integrity-of-the-country-nhrc-chief

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि “देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता” के लिए दैनिक जीवन में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देकर उन्हें जीवित रखना आवश्यक है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि “देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता” के लिए दैनिक जीवन में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देकर उन्हें जीवित रखना आवश्यक है।

मिश्रा सितंबर 2022 में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के 33 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि किसी देश की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में भाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा इसलिए, देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता के लिए हमारे दैनिक जीवन में उनके उपयोग को बढ़ावा देकर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को जीवित रखना आवश्यक है।

Moradabad: मानवाधिकार आयोग में पहुंचा हिंदू कॉलेज का बुर्का विवाद

https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/moradabad/moradabad-burqa-row-of-hindu-college-reach-human-rights-commission-2023-01-21

दानिश ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के हर नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार आचारण करने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड के नाम पर मुस्लिम छात्राओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है।

मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्के के लेकर चल रहा विवाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) तक पहुंच गया है। रामपुर के आरटीआई कार्यकर्ता दानिश खान ने इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग में की है। उन्होंने कहा है कि कॉलेज प्रबंधन ड्रेस कोड के नाम पर मुस्लिम छात्राओं का उत्पड़ीन कर रहा है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में एक जनवरी से ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसके बाद से सभी छात्र-छात्राओं को ड्रेस में ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके लिए गेट पर ही स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। जो छात्राएं बुर्का पहनकर आ रही हैं उनको रोका जा रहा है।

दानिश ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के हर नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार आचारण करने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड के नाम पर मुस्लिम छात्राओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। दानिश ने इस मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।

'देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता का ध्यान रखना जरूरी'- NHRC प्रमुख अरुण कुमार मिश्रा

https://www.abplive.com/news/india/nhrc-chief-arun-kumar-mishra-says-it-is-necessary-to-take-care-of-the-cultural-unity-and-integrity-of-the-country-2313354

NHRC: एनएचआरसी प्रमुख अरुण कुमार मिश्रा ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसी देश की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में भाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

Arun Kumar Mishra On Unity Of Country: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission of India) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा (Arun Kumar Mishra) ने शुक्रवार को कहा कि हमें रोजाना की दिनचर्या में हिंदी और अन्य भाषाओं का उपयोग जरूर करना चाहिए. अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने कहा कि देश की "सांस्कृतिक एकता और अखंडता" के लिए दैनिक जीवन में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देकर उन्हें जीवित रखना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि हमें अपने देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए. जिसके लिए हमें अपनी भारतीय भाषाओं को महत्वता देनी चाहिए.

अरुण कुमार मिश्रा शुक्रवार को सितंबर 2022 में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हुए कई विभिन्न प्रतियोगिताओं के 33 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे. जहां उन्होंने हमें देश की "सांस्कृतिक एकता और अखंडता" का मुद्दा उठाया. मिश्रा ने लोगों से जोर देकर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कहा.

भाषाओं को देनी चाहिए महत्वता

न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसी देश की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में भाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. उन्होंने कहा इसलिए, देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता के लिए हमारे दैनिक जीवन में उनके उपयोग को बढ़ावा देकर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को जीवित रखना आवश्यक है. इसके साथ ही हमें अपनी भाषाओं को महत्वता देनी चाहिए.

मिश्रा ने लोगों से यह भी कहा कि जब हमारी संस्कृत भाषा और भारतीय साहित्य का विदेशों में लाभ उठाया जा रहा है तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम भी अपनी भाषाओं के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और इसे दुनिया का मार्गदर्शन करना चाहिए. जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में अरुण कुमार के अलावा आयोग के सदस्य श्री राजीव जैन, आयोग के महासचिव श्री डी. के. सिंह, और अनीता सिन्हा सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे.

देश की अखंडता के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को जीवित रखना जरूरी: एनएचआरसी प्रमुख

https://www.punjabkesari.in/state/news/pti-state-story-1756306

नयी दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि “देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता” के लिए दैनिक जीवन में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देकर उन्हें जीवित रखना आवश्यक है।

मिश्रा सितंबर 2022 में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के 33 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि किसी देश की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में भाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उन्होंने कहा इसलिए, देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता के लिए हमारे दैनिक जीवन में उनके उपयोग को बढ़ावा देकर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को जीवित रखना आवश्यक है।